

अनुबंध



**अनुबंध-1ए: आयकर अधिनियम के अंतर्गत निजी स्वास्थ्य केयर सेक्टर द्वारा प्राप्त किये गये कर प्रोत्साहन के संबंध में वैधानिक प्रावधान**

आयकर अधिनियम के अनुसार धारा	संक्षेप में प्रावधान						
10(23सी)	<p>ऐसे निर्धारितियों (निजी अस्पताल आदि) से संबंधित निम्नलिखित खंडों में से किसी एक के भी अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति, किसी आय के विगत वर्ष की कुल आय की गणना में शामिल नहीं होंगे यदि आय किसी व्यक्ति द्वारा इनकी ओर से प्राप्त की गई है-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बीमारी या मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित व्यक्ति को देखना और इलाज करने के लिए या आरोग्य लाभ या मेडिकल आवश्यकता या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्ति को देखना और इलाज करना, केवल परोपकारी उद्देश्यों हेतु मौजूद होना और न कि केवल लाभ के उद्देश्य और जो पूर्णतः या वस्तुतः सरकारी (धारा 10(23ग)(iiiएसी)) द्वारा वित्तपोषित कोई अस्पताल या अन्य संस्थान;</li> <li>➤ बीमारी या मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित व्यक्ति को देखना और इलाज करने के लिए या आरोग्य लाभ या मेडिकल आवश्यकता या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्ति को देखना और इलाज करना, केवल परोपकारी उद्देश्यों हेतु मौजूद होना और न कि केवल लाभ के उद्देश्य और जो यदि ऐसे अस्पताल या संस्थान की औसत वार्षिक प्राप्ति पावतियों के राशि जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है (धारा 10(23ग)(iiiएई)) के अनुसार अधिक नहीं हो सकता।</li> <li>➤ बीमारी या मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित व्यक्ति को देखना और इलाज करने के लिए या आरोग्य लाभ या मेडिकल आवश्यकता या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्ति को देखना और इलाज करना, केवल परोपकारी उद्देश्यों हेतु मौजूद होना और न कि केवल लाभ के उद्देश्य और जो, उप-खंड (iiiएसी) या उपखंड (iiiएई) में विनिर्दिष्टनुसार से अलग और जिसे निर्धारित प्राधिकरण (धारा 10(23सी)(द्वारा)) अनुमोदित किया जा सकता है।</li> </ul>						
11	<p>धारा 11 न्यास/संस्थान या पूर्णतः या आंशिक और स्वेच्छापूर्वक सहयोग हेतु धार्मिक/धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अन्य वैधानिक आपत्ति में आई संपत्ति से आय की छूट से संबंधित है।</p> <table border="1" data-bbox="555 1637 1391 2038"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1637 683 1682">धारा</th> <th data-bbox="683 1637 1391 1682">आय की प्रकृति और अनुमत छूट की सीमा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1682 683 1906">11(1)(क)</td> <td data-bbox="683 1682 1391 1906">वर्तमान आय के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः न्यास के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय भारत में ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर लागू होता है और ऐसी संपत्ति से आय का 15% की सीमा तक के लिए जहां ऐसी आय ऐसे कार्यों के लिए संचित हो जाती है या अलग रख दी जाती है।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1906 683 2038">11(1)(ख)</td> <td data-bbox="683 1906 1391 2038">वर्तमान आय के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः न्यास के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय भारत में ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर लागू होता है और ऐसी संपत्ति</td> </tr> </tbody> </table>	धारा	आय की प्रकृति और अनुमत छूट की सीमा	11(1)(क)	वर्तमान आय के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः न्यास के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय भारत में ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर लागू होता है और ऐसी संपत्ति से आय का 15% की सीमा तक के लिए जहां ऐसी आय ऐसे कार्यों के लिए संचित हो जाती है या अलग रख दी जाती है।	11(1)(ख)	वर्तमान आय के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः न्यास के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय भारत में ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर लागू होता है और ऐसी संपत्ति
धारा	आय की प्रकृति और अनुमत छूट की सीमा						
11(1)(क)	वर्तमान आय के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः न्यास के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय भारत में ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर लागू होता है और ऐसी संपत्ति से आय का 15% की सीमा तक के लिए जहां ऐसी आय ऐसे कार्यों के लिए संचित हो जाती है या अलग रख दी जाती है।						
11(1)(ख)	वर्तमान आय के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः न्यास के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय भारत में ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर लागू होता है और ऐसी संपत्ति						

		से आय का 15% की सीमा तक के लिए जहां आयकर अधिनमय आरंभ करने से पूर्व ट्रस्ट को बनाया गया था।
11(1)(ग)		धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय, जो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने में सहायक होता है जिसमें भारत रूचि रखता है, भारत से बाहर ऐसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए वर्तमान लागू होता है। केवल तभी उपलब्ध होगी यदि बोर्ड ने ऐसी छूट के निदेश दिये होंगे।
11(1)(ड.)		किसी विशिष्ट निर्देश के साथ किये गये स्वैच्छिक सहयोग के रूप में आय कि वे ट्रस्ट की राशि के भाग होंगे या संस्थान 100 प्रतिशत छूट के लिए योग्य है।
11(2)		<p>जहां आय का शेष 85 प्रतिशत लागू नहीं है या विगत वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं समझा जाएगा, संचित की गई या अलग रखी गई ऐसी आय कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी यदि अग्रलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐसा व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट फार्म और निर्दिष्ट ढंग में आय को संचित करने या अलग रखने के उद्देश्य बताते हुए एक बयान प्रस्तुत करेगा और जिस अवधि के लिए आय को संचित किया गया है या अलग रखा गया है, वह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;</li> <li>• इस प्रकार संचित की गई या अलग रखे गये धन उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट फार्म या मोड में निवेशित या जमा किये गये हैं।</li> </ul>
11(3)		<p>उप धारा (2) में संदर्भित कोई आय जो-</p> <p>(क) जैसा की ऊपर बताया गया है धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों से अलग लागू किया जाता है या इस आवेदन के लिए संचित किया जाना या जमा किया जाना रोक दिया जाता है</p> <p>[(ख) उप-धारा (5) में निर्दिष्ट किसी फार्म या मोड में निवेशित या जमा करने के लिए रोकता है, या]</p> <p>(ग) उस उप-धारा के खंड (क) में संदर्भित अवधि के दौरान या इसके समाप्त होने के तुरंत आगामी वर्ष में संचित किये गये या अलग रखी जाने के उद्देश के लिए प्रयुक्त नहीं की गई है,</p> <p>[(घ) धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) या उप-खंड (द्वारा) में संदर्भित किसी निधि या धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकृत या किसी निधि या संस्थान या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान को</p>

		<p>क्रेडिट या अदा की जाती है,] यह विगत वर्ष उपरोक्त अवधि की समाप्ति के तुरंत आगामी विगत वर्ष से जिसमें इसे लागू किया गया है या ऐसे संचित किया जाना रोक दिया जाता है अलग कर दिया जाता है या ऐसे निवेशित करना या जमा करना रोक दिया जाता है, या क्रेडिट या अदा किया या जैसा भी मामला हो, विगत वर्ष से किसी व्यक्ति की आय माना जाएगा।</p>
	11(3क)	<p>उप-धारा (3) में ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद, जहां उप-धारा (2) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार कोई निवेशित या जमा की गई आय, आय की प्राप्ति पर व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उन उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया जा सकता जिसके लिए इसे संचित किया गया या अलग किया गया, निर्धारण अधिकारी इस ओर से उसको किये गये आवेदन पर भारत में ऐसे किसी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ऐसी आय के आवेदन के लिए ऐसे व्यक्ति को अनुमत कर सकता है जैसा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट किया गया है और जैसे कि ट्रस्ट के विरोधों के अनुसार है; और इस उप-धारा (3) के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि इस उप-धारा के अंतर्गत आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य उप-धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी को दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट उद्देश्य दिये गये थे।</p>
	11(4क)	<p>धारा 11 के अंतर्गत कटौती लाभ और व्यापार लाभ की प्राप्तियों के रूप में किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जब तक कि (i) व्यापार संस्थान के उद्देश्य की प्राप्ति आकस्मिक न हो (ii) लेखे की अलग बही ऐसे व्यापार के संबंध में रखी न गई हो।</p>
12		<p>ऐसे उद्देश्यों (विशेष निर्देशों के साथ किये गये सहयोग के रूप में नहीं जो ट्रस्ट या संस्थान की निधि का भाग होंगे) के लिए पूर्णतः स्थापित किसी संस्थान द्वारा पूर्णतः बनाया गये ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक सहयोग धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य और उस धारा के प्रावधानों के लिए ट्रस्ट के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त हाने वाली आय को धारा 11 के उद्देश्य के लिए माना जाएगा और तदनुसार धारा 13 लागू होगी।</p> <p>(2) चिकित्सक या शैक्षिक सेवाओं के रूप में (घ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (सीसी) या धारा 13 की उप-धारा (3) के खंड में संदर्भित किसी व्यक्ति को अस्पताल या चिकित्सा संस्थान या शैक्षिक संस्थान चलाने वाले किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराया गया किसी सेवा का मूल्य, विगत वर्ष के दौरान पूर्णतः धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के अंतर्गत रखी गई संपत्ति से प्राप्त ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की आय समझी जाएगी जिसमें ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के बावजूद आय कर प्रभार योग्य होगा।</p>

13	<p>यद्यपि, अधिनियम की धारा 11 या 12 द्वारा दी गई छूट अग्रलिखित मामलों और परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जहां निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट के अंतर्गत रखा गया संपत्ति से आय का कोई भाग सर्वसाधारण के लाभ के लिए उपलब्ध नहीं कराता;</li> <li>• 1.4.1962 तक या बाद में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाये गये या स्थापित किये गये संस्थान के मामले में, ट्रस्ट की कोई आय कर छूट के लिए योग्य नहीं होगी यदि ट्रस्ट या संस्थान किसी धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए बनाये गये या स्थापित किये गये हैं। धारा 13 के विवरण 2 के अनुसार, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या अनुसूचित जनजाति या औरतें या बच्चों के लाभ के लिए बनाये गये किसी ट्रस्ट को इस छूट के उद्देश्यों हेतु किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए बनाये गये या स्थापित किये गये ट्रस्ट या संस्थान को नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप केवल अनुसूचित जाति या जन जाति या पिछड़ी जाति या औरतें या बच्चों के लाभ के लिए स्थापित ट्रस्ट या संस्थानों से प्राप्त आय कर छूट के लिए योग्य होंगी यद्यपि आय किसी विशेष समुदाय या जाति के लाभ के लिए वास्तव में उपयोग की गई है।</li> <li>• 1.4.1962 के बाद स्थापित ट्रस्ट या संस्थान के मामले में या कभी भी बनाये या स्थापित किये गये ट्रस्ट के मामले में, यदि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेखाकरण वर्ष के दौरान ट्रस्ट या संस्थान की आय लागू होती है या यदि ट्रस्ट की शर्तों या संस्थान के प्रशासन नियमों के अंतर्गत, ऐसी किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए ट्रस्ट की आय का कोई भाग सुनिश्चित करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, ट्रस्ट धारा 11 के अंतर्गत दी गई कर छूट नहीं दी जाएगी, केवल इस अपवाद के अतिरिक्त कि (i) जहां ऐसा प्रयोग या क्रियान्वयन ट्रस्ट की आवश्यक शर्त की या संस्थान के प्रशासन आवश्यक नियम अनुपालना के अनुसार है, और (ii) जहां प्रथम जून, 1970 के पूर्व किसी अवधि से संबंधित ऐसे प्रयोग या आवेदन, पूर्वनिर्दिष्ट प्रावधान लागू नहीं होगा।</li> <li>• जहां कोई व्यापार धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे कारोबार की आय उस रूप में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी जैसे की अन्य किसी निर्धारिती की कारोबार आय का निर्धारण किया जाता है। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये निर्धारण के संबंध में दर्शाई गई कारोबार आय के कोई अनुवृद्धि धर्मार्थ या धार्मिक की अपेक्षा उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट द्वारा आय को प्रयुक्त किया गया समझा जाता है। इसलिए, ऐसी अनुवृद्धियां, धारा 11(4) के अंतर्गत कर छूट के अंतर्गत नहीं आती।</li> </ul>
----	--

नियम 5(1) के साथ पठित 32 परिशिष्ट ।	निर्धारिती द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने स्वामीत्व वाली मशीनरी (जीवन बचाने वाले चिकित्सा उपकरण <sup>141</sup> ) के मूल्यहास और कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए प्रयोग के संबंध में, प्रासंगिक परिसंपत्ति के अवलेखित मूल्य 13 के 40 प्रतिशत की दर पर कटौती अनुमत होगी।
35एडी	<p>विगत वर्ष, जिसमें निर्धारिती द्वारा व्यय किया गया है, के दौरान उसके द्वारा किये गये कुछ निर्दिष्ट कारोबार के उद्देश्यों हेतु पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यय की गई पूंजीगत प्रकृति के किसी व्यय के संबंध में किसी निर्धारिती को कटौती अनुमत होगी: बशर्ते कि किसी निर्दिष्ट कारोबार के उद्देश्यों हेतु पूर्णतः और अनन्य रूप से किये गये व्यय विगत वर्ष जिसमें निर्धारिती ने अपने निर्दिष्ट कारोबार के कार्य आरंभ किये थे, के दौरान कटौती के रूप में निर्दिष्ट दर पर अनुमत होगा, यदि-(क) व्यय अपने कार्य करने से पूर्व किया जाता है; और (ख) अपने कार्यों को आरंभ करने की तिथि पर निर्धारिती की ओर से बहीखातों में राशि को पूँजीकृत किया जाता है।</p> <p>यह प्रावधान मरीजों हेतु कम से कम 100 बिस्तरों वाले नये अस्पताल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति में निर्दिष्ट कारोबार के लिए अनुमत है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय भूमि या साख या वित्तीय तंत्र की प्राप्ति शामिल नहीं होगी।</p>

<sup>141</sup> (क) आंतरिक प्रयोग हेतु डीफाइबलेटर और पेस मेयर, कलर (ख) हीमोफायलीसर्स (ग) हर्ट लंग मशीन (घ) कोबाल्ट थेरपी यूनिट (ङ) कलर डोपलर (च) स्पेक्ट गामा कैमरा (छ) डिजिटल सबट्रेक्शन एंनियोग्राफी वैस्कूलर एंजियोग्राफी सिस्टम (ज) एनस्थीसिया तंत्र के साथ प्रयुक्त वेंटीलेटर (झ) मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम (\*)सर्जिकल लेजर (ट) एनस्थीसिया के अतिरिक्त प्रयुक्त होने वाले अन्य वेंटीलेटर (ठ) गामा नाईफ (ड) कीमोथैरपी के लिए साइलेस्टिक लॉग स्टैंडिंग इंटरवेनस कैपटर सहित बोन मेरो ट्रांसप्लाट (ढ) बाल चिकित्सा रिसेक्टोस्कोप/ऑडिट रिसेक्टोस्कोप, पेरीटोनियोस्कोप, अर्थास्कोप, माइक्रो लेरिंगोस्कोप, फाईबरोपटिक फ्लैक्सीबल नेजल फेरिंगो ब्रॉन्कोस्कोप, विडियो लेंरिंगो ब्रॉकोस्कोप और विडियो आसोफेगो गेस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, फाईबरोपटिक प्लैक्सीवल ओसोफेगो गेस्ट्रोस्कोप सहित फाईबरोपटिक एंडोस्कोप और (ण) लेप्रोकोप (सिंगल इंसिजन)

<p>80आईबी (11बी/11सी)</p>	<p>जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में इसी प्रतिशतता के समान राशि से ऐसे लाभ और प्राप्तियों से कटौती और इस धारा में निर्दिष्ट किये गये निर्धारण वर्ष का ऐसी संख्या हेतु निर्धारिती की कुल आय की गणना में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है किसी कारोबार से प्राप्त कोई लाभ और प्राप्ति शामिल होती है।</p> <p>ग्रामीण क्षेत्र/अन्य वर्जित क्षेत्रों में अस्पताल के संचालन और प्रबंधन के कारोबार से प्राप्त लाभ उपक्रम के मामले में कटौती की राशि आरंभिक निर्धारण वर्ष के आरंभ होने के साथ पांच लगातार निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारोबार की लाभ और प्राप्तियां की प्रतिशतता शत प्रतिशत होगी, यदि</p> <p>(i) 1 अक्टूबर 2004 से आरंभ और 31 मार्च 2008 को समाप्त (ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल के लिए) तथा 1 अप्रैल 2008 को आरंभ तिथि 31 मार्च 2013 को समाप्त (अन्य वर्जित क्षेत्रों<sup>142</sup> में अस्पतालों के लिए) अवधि के दौरान किसी समय पर निर्मित अस्पताल (ii) अस्पताल में कम से कम सौ बैड मरीजों के लिए हो; (iii) अस्पताल का निर्माण स्थानीय प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में लागू नियमकों के अनुसार अस्पताल का निर्माण हो; और (iv) निर्धारिती लेखापरीक्षा रिपोर्ट आय रिटर्न के साथ प्रस्तुत करता है।</p>
-------------------------------	--

<sup>142</sup> “वर्जित क्षेत्र” में (i) ग्रेटर मुम्बई में शहरी समुदाय, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, (ii) फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गांधीनगर और सिंदराबाद शहर

<sup>142</sup> 80IB(13) धारा-80-1ए की उप-धारा (5) और उप-धाराओं (7) से (12) में दिये गये प्रावधान इस धारा के अंतर्गत जहां तक संभव हो योग्य कारोबार पर लागू होंगे।



**अनुबंध-1बी: निजी स्वास्थ्य सेवा कारोबार या व्यवसाय में लगे निर्धारितियों पर लागू अन्य कानूनी प्रावधान**

37	<p>कारोबार अथवा व्यवसाय के प्रयोजन हेतु पूर्णतया तथा एकमात्र रूप से किए गए अथवा खर्च किए गए किसी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं होने पर और पूंजीगत व्यय या निर्धारित के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न हाने पर) को शीर्ष “कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ” के अन्तर्गत प्रभार्य आय की गणना करने में अनुमत किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 37 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, एक निर्धारित द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए किया गया कोई भी व्यय जो एक अपराध है या कानून द्वारा प्रतिबंधित है, को कारोबार या व्यवसाय के प्रयोजन हेतु किया गया व्यय नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
40(ए)(आईए)	<p>किसी कार्य (किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) जिस पर अध्याय XVII-बी के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसा कर काटा नहीं गया है अथवा काटने के बाद धारा 139 की उपधारा (1) में निर्धारित नियत तिथि को अथवा पहले भुगतान नहीं किया गया है, करने के लिए प्रवासी होने पर ठेकेदार अथवा उपठेकेदार को देय राशियाँ अथवा प्रवासी को देय तकनीकी सेवाओं के लिए या व्यावसायिक सेवाओं अथवा फीस के लिए किसी निर्धारित के मामले में कारोबार से आय की गणना करने में कोई ब्याज, कमीशन अथवा दलाली, किराया, रायल्टी, फीस राशियों की कटौती नहीं की जाएगी।</p>
40ए(3)	<p>जहां एक निर्धारित भुगतान के संबंध में या एक दिन में एक व्यक्ति को किए गए कुल भुगतान करता है अन्यथा किसी बैंक खाते में देय चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट पर कोई व्यय करता है, जो बीस हजार रुपये से अधिक होता है, तो ऐसे व्यय पर कोई कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।</p>
44एबी	<p>प्रत्येक व्यक्ति जो कारोबार करता है, यदि व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या कुल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, किसी भी पूर्व वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक होती हो, या कारोबार करते हुए, यदि कारोबार से लाभ या प्राप्तियां धारा 44एई या धारा 44बीबी या धारा 44बीबीबी के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की लाभ और प्राप्तियां मानी जाती है, जैसा भी मामला हो और उसने अपनी आय को दावा किसी भी पूर्व वर्ष में उसके कारोबार से मानी गई लाभ या प्राप्तियों से कम किया जैसा भी मामला हो या (इ) कारोबार करते समय यदि ऐसे व्यक्ति की कारोबार से मानी गई लाभ या प्राप्तियां धारा 44एडी के अन्तर्गत लाभ या प्राप्तियाँ हो और उसने ऐसे आय का मानी गई लाभ या प्राप्तियों से कम दावा किया हो और उसकी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जिस पर किसी भी पिछले वर्ष में आय कर प्रभार्य नहीं हो और वह ऐसे पिछले वर्ष के अपने खातों की लेखापरीक्षा एक लेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व करवाता है और उस तिथि तक ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट निर्धारित परिपत्र में प्रस्तुत करता है ऐसे लेखाकार द्वारा यथा हस्ताक्षरित और सत्यापित करवा कर और जैसा निर्धारित हो ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा।</p> <p>टिप्पणी: आईसीएआई द्वारा जारी कर लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार</p>

	<p>ऐसे कार्य जो कारोबार माने जाते हैं में अन्य बातों के साथ-साथ साथ नर्सिंग होम शामिल हैं।</p>
<p>44एए</p>	<p>व्यवसाय या कारोबार करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का अनुरक्षण-प्रत्येक व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरी या स्थापत्य व्यवसाय या लेखाकरण के व्यवसाय, या तकनीकी परामर्शदाता या आन्तरिक सुसज्जा या अन्य कोई व्यवसाय करता है, जो बोर्ड द्वारा कार्यालयी राजपत्र में अधिसूचित है, को ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज रखने और उनका अनुरक्षण करना होता है जिससे निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने में सक्षम हो।</p> <p>आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 एफ के अनुसार, कुछ व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को धारा 44एए(3) के अर्न्तगत रखना और अनुरक्षित किया जाना है। नियम 6 एफ(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरी या स्थापत्य व्यवसाय या लेखाकरण के व्यवसाय या तकनीकी परामर्श या आन्तरिक सुसज्जा या प्राधिकृत प्रतिनिधि या फिल्म कलाकार को उप नियम (2) में निर्धारित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज रखने और उनका अनुरक्षण करना है बशर्ते कि इस उपनियम में से कुछ भी किसी पिछले वर्ष के संबंध में उस मामले में लागू नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति, जिसकी व्यवसाय से कुल सकल प्राप्तियां पिछले वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किसी एक में भी एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हो, या जहां व्यवसाय पिछले वर्ष में नया स्थापित किया गया हो, और वर्ष के लिए व्यवसाय में उसकी कुल सकल प्राप्तियां उक्त राशि से अधिक न होने की संभावना हो।</p> <p>(2) उप नियम (1) में संदर्भित लेखा बही और अन्य दस्तावेज निम्नलिखित होंगे; नामतः (i) एक रोकड़ बही; (ii) एक जर्नल, यदि लेखाओं का अनुरक्षण लेखाकरण की मर्क्रेटाइल प्रणाली के अनुसार किया जाता है; (iii) एक लेजर (iv) बिलों की कार्बन प्रतियां, चाहे मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमानुसार सांख्याकित हैं, जहां भी उस व्यक्ति द्वारा ऐसे बिलों को जारी किया जाता है और उसके द्वारा मशीन क्रमांकित कार्बन प्रतियां या काउंटर फॉयल या अन्यथा क्रमानुसार सांख्याकित रसीदें जारी की जाती हैं; बशर्ते इस खण्ड में से कुछ भी लागू नहीं होगा यदि राशि पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होती; (v) एक व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय के संबंध में व्यक्ति को जारी वास्तविक बिल और प्राप्तियां या जहां ऐसे बिल और प्राप्तियां जारी नहीं किए जाते हैं और किया गया व्यय पचास रुपये से अधिक न हो, व्यक्ति द्वारा भुगतान वाउचर तैयार और हस्ताक्षर किए जाते हैं। बशर्ते कि भुगतान वाउचरों को तैयार और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता उस मामले में लागू नहीं होगी जहां व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही में उसके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में पर्याप्त विवरण हों।</p> <p>3) एक व्यक्ति जो चिकित्सा व्यवसाय में हो, उसे उप नियम (2) में निर्धारित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित नामतः (i) फार्म सं. 3 सी में एक दैनिक केस रजिस्टर; (ii) पिछले वर्ष के पहले और अन्तिम दिन तक उसके व्यवसाय के प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग्स, दवाइयों और अन्य</p>

	उपभोज्य उपकरणों की व्यापक शीर्ष के तहत एक मालसूची को रखना और अनुरक्षित करना होगा।
194आई	कोई व्यक्ति जो एक व्यष्टि या एक हिन्दु अविभाजित परिवार न हो, जो अदाता के खाते में ऐसी आय को जमा करने के समय या उसके भुगतान के समय एक प्रवासी को किराए के माध्यम से आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि एक व्यष्टि या एक हिन्दु अविभाजित परिवार, जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए जाने वाले कारोबर या व्यवसाय से टर्नओवर वित्तीय वर्ष से तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें किराए के द्वारा ऐसी आय क्रेडिट या भुगतान की जाती है, धारा 44एबी के खण्ड (क) या खण्ड (बी) के तहत निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो, इस धारा के अन्तर्गत आय कर की कटौती के लिए दायी होगी।
194एच	कोई व्यक्ति, जो एक व्यष्टि या एक हिन्दु अविभाजित परिवार न हो, जो एक प्रवासी को कमीशन (धारा 194डी में संदर्भित बीमा कमीशन न हो) या दलाली के रूप में किसी आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, जो अदाता के खाते में ऐसी आय को जमा करवाने के समय या नकद में ऐसी आय के भुगतान के समय या बैंक या ड्राफ्ट जारी कर या किसी अन्य माध्यम से जो भी पहले हो, पर निर्धारित दर पर उस पर आय कर की कटौती करेगा।
194जे	194जे: कोई व्यक्ति जो एक व्यष्टि या एक हिन्दु अविभाजित परिवार न हो, जो एक प्रवासी को (क) व्यवसायिक सेवाओं के लिए फीस, या (ख) तकनीकी सेवाओं के लिए फीस (ख ए) एक कंपनी के निदेशक को किए राशि के भुगतान का उत्तरदायी हो कोई प्रतिफल या फीस या धारा 192 के अन्तर्गत कटौती योग्य कर के अलावा कमीशन, या (ग) रायल्टी या (ड) धारा 28 के खण्ड (वए) में संदर्भित कोई राशि, जो अदाता के खाते में ऐसी राशि को जमा करने समय या नकद में उसके भुगतान के समय या बैंक या ड्राफ्ट जारी करने के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पहले हो, उसमें निहित आय कर के रूप में ऐसी राशि की निर्धारित दर पर कटौती की जाएगी। 'व्यवसायिक सेवाओं' का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरी या स्थापत्य व्यवसाय या लेखाकरण के व्यवसाय या तकनीकी परामर्श या आन्तरिक सुसज्जा या विज्ञापन या ऐसे अन्य व्यवसाय जो धारा 44ए या इस धारा के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित हैं दी गई सेवाएं।

## अनुबंध-2: महत्वपूर्ण-न्यायिक उद्घोषणाएं और परिपत्र

संदर्भित मामला	न्यायिक निर्णय
2013 (11) टीएमआई 145 आईटीएटी चेन्नई <i>सहायक आयुक्त आयकर बनाम हारवे हार्ट हास्पिटल लि.</i>	निर्धारिती ने डाक्टरों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और निर्धारिती के व्यवसाय के बीच किसी संबंध को नहीं दर्शाया-निर्धारिती ने अपना व्यवसाय करते समय व्यय का कोई विवरण और अनुसंधान और विकास की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की-व्यय की अनुमति के लिए एक सामान्य दावा कि कम्पनी ने अनुसंधान और विकास किया, पर्याप्त नहीं है।
2012 (6) टीएमआई 620 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय <i>आयकर आयुक्त बनाम कैप स्केन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रा. लि.</i>	डायग्नोसिस के लिए रोगियों को रेफर करने के लिए निजी डाक्टरों को दत्त कमिशन को व्यवसायिक व्यय के रूप में अनुमत नहीं किया जा सकता। व्यवसायिक व्यय के रूप में जिस राशि को अनुमत किया जा सकता है वह वैध होनी चाहिए और गैर कानूनी या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
2010 (12) टीएमआई 212 आईटीएटी, अहमदाबाद <i>आईटीओ बनाम अपोलो हाँस्पिटल इंटरनेशनल लि.</i>	जो डाक्टर एफजीसी (फिक्सड सैलेरी एंड गारंटी मनी) के अन्तर्गत आते हैं उनके संबंध में निबंधन एवं शर्तें वेतनभोगी कर्मियों के समान नहीं हैं। अतः उनका अस्पताल से संबंध, नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं कहा जा सकता। अतः इस आय पर अधिनियम की धारा 194 जे के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है।
माननीय आईटीएओ कोलकाता, <i>सुरक्षा डायग्नोस्टिक एंड आई सेंटर बनाम आय कर विभाग<sup>143</sup></i>	वर्तमान मामले में, यह निर्णय दिया गया कि कम्प्यूटर साफ्टवेयर की खरीद के लिए दत्त राशि को तकनीकी सेवाओं के लिए दत्त फीस की राशि नहीं माना जा सकता। अतः कम्प्यूटर साफ्टवेयर की खरीद पूंजीगत व्यय है और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं है।
सीबीडीटी परिपत्र	सीबीडीटी (पैरा 1 और पैरा 2) द्वारा जारी दिनांक 1 अगस्त 2012 के 2012 की परिपत्र सं. 5 के अनुसार चिकित्सकों और उनके व्यवसायिक सहयोगियों को मुख्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र संगठनों सहित फार्मास्यूटिकल उद्योगों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुफ्त उपहार जैसे उपहार, यात्रा सुविधा, आतिथ्य, नकदी या मौद्रिक अनुदान भी व्यवसायिक आय या अन्य स्रोतों से आय के रूप में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए कर-योग्य हैं।

<sup>143</sup> आईटीए सं. 2121/कोल/2010

## अनुबंध 3 : कमिश्नरी और उसके अन्तर्गत यूनिटों का नमूना चयन

राज्य का नाम	चयनित पीसीआईटी/सीआईटी की संख्या	चयनित यूनिटों की संख्या		
		सर्कल	वार्ड	कुल
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	6	18	24	42
असम	3	4	4	8
बिहार	2	4	5	9
छत्तीसगढ़	2	4	4	8
दिल्ली	10	26	15	41
गुजरात	3	5	5	10
हरियाणा	3	9	28	37
झारखण्ड	2	7	6	13
कर्नाटक	7	19	30	49
केरल	3	6	11	17
मध्य प्रदेश	2	4	4	8
महाराष्ट्र	13	19	8	27
ओडिशा	2	4	5	9
पंजाब	4	7	17	24
राजस्थान	3	5	6	11
तमिलनाडु	6	17	24	41
उत्तराखण्ड	3	4	5	9
उत्तर प्रदेश	4	8	6	14
पश्चिम बंगाल	13	34	21	55
<b>जोड़</b>	<b>91</b>	<b>204</b>	<b>228</b>	<b>432</b>

## अनुबंध 4 : प्रस्तुत न किए गए रिकार्ड

राज्य का नाम	मांगे गए रिकार्ड (संख्या)	प्रस्तुत न किए गए रिकार्ड	प्रस्तुत न किए गए का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	267	11	4.12
असम	63	0	0.00
बिहार	124	27	21.77
छत्तीसगढ़	43	3	6.98
दिल्ली	281	14	4.98
गुजरात	156	13	8.33
हरियाणा	80	7	8.75
झारखण्ड	76	0	0.00
कर्नाटक	31	0	0.00
केरल	132	2	1.52
मध्य प्रदेश	104	17	16.35
महाराष्ट्र	589	97	16.47
ओडिशा	42	4	9.52
पंजाब	50	0	0.00
राजस्थान	203	11	5.42
तमिलनाडु	267	0	0.00
उत्तराखण्ड	64	0	0.00
उत्तर प्रदेश	110	6	5.45
पश्चिम बंगाल	528	18	3.41
<b>जोड़</b>	<b>3210</b>	<b>230</b>	<b>7.17</b>

## अनुबंध 5ए

## बाह्य स्रोतों की सूची

क्रम संख्या	राज्य के नाम	बाह्य स्रोत
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	द आईएमए, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द तेलंगाना प्राइवेट होस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन, हैदराबाद।
2	असम	(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पीसीबी, प्राइवेट ब्लड बैंक, आरओसी, असम ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> ), निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुवाहाटी, असम, निजी ब्लड बैंक <a href="http://www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf">www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf</a> से प्राप्त, स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंडियन स्कूल ऑफ नर्सिंग एनईआर ( <a href="http://www.indiannursingcouncil.org">www.indiannursingcouncil.org</a> , 2013-14 से प्राप्त), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम, एसआईआरओ (चिकित्सा विज्ञान) <sup>1</sup> (एसआईआरओ की निर्देशिका (दिसम्बर 2014 तक) ( <a href="http://www.dsir.gov.in/direct/14sirodir.pdf">http://www.dsir.gov.in/direct/14sirodir.pdf</a> ) और एमसीआई (इंडियन मेडिकल काउंसिल, (जैसा <a href="http://www.mciindia.org/informationDesk/">www.mciindia.org/informationDesk/</a> इंडियन मेडिकल रजिस्टर, <a href="http://www.mciindia.org/informationDesk/">www.mciindia.org/informationDesk/</a> से प्राप्त किया गया।
3	अरुणाचल प्रदेश	एमसीआई (इंडियन मेडिकल काउंसिल, (जैसा <a href="http://www.mciindia.org/informationDesk/indianmedicalregister.aspx">www.mciindia.org/informationDesk/indianmedicalregister.aspx</a> निजी ब्लड बैंक से प्राप्त किया गया)
4	बिहार	डीएम, पटना, आईएमए, पटना डेंटल कालेज, ड्रग नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ मुज़फ्फरपुर, पटना नगर निगम
5	छत्तीसगढ़	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ सरकार, नगर निगम परिषद्, रायपुर और दुर्ग
6	दिल्ली	(मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली नर्सिंग परिषद्, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेडिफी, सुलेखा वाउचर, टीडीएस भुगतान कार्यक्रम क्रेडिटर्स/डेब्टर्स की सूची)
7	गुजरात	जस्ट डायल, सीजीएचएस, खनिज विकास निगम लि., राज्य पेट्रोलियम निगम लि., राज्य पेट्रोलियम निगम लि., पावर कारपोरेशन लि., जीएसपीसी पीपाव पावर कम्पनी लिमिटेड, स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फार गांधी नगर और अहमदाबाद लि., मेडिकल काउंसिल, आईएमए गुजरात, स्टेट

		डेंटल काउंसिल, काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन)
8	हरियाणा	मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, नगर निगम/म्यूनिसिपैलिटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एसआईआरओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ब्लड बैंक, आरओसी, केन्द्रीय और राज्य पीएसयूज
9	झारखण्ड	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का निदेशालय, झारखण्ड सरकार और जिला समाहरणालय स्वास्थ्य सेवाएं
10	कर्नाटक	चिकित्सा परिषद, दन्त परिषद, नगर निगम/म्यूनिसिपालिटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ब्लड बैंक, आरओसी, केन्द्रीय और राज्य पीएसयू
11	केरल	नगर निगम/म्यूनिसिपालिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीजीएचएस, भारतीय चिकित्सा परिषद, <a href="http://www.doctorskerala.com">www.doctorskerala.com</a>
12	मध्य प्रदेश	(डिविज़नल सयुंक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम, ड्रग इन्सपेक्टर)
13	महाराष्ट्र	चिकित्सा परिषद, दन्त परिषद, नगर निगम, डीएचएफडब्ल्यू, एसआईआरओ, पीसीबी, ब्लड बैंक, आरओसी, केन्द्र और राज्य पीएसयूज, चैरिटी कमिश्नर, सेवा कर डाटा बेस, <a href="http://www.practo.com">www.practo.com</a> <a href="http://www.healthfrog.in">www.healthfrog.in</a>
14	ओडिशा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीजीएचएस
15	पंजाब	चिकित्सा परिषद, दन्त परिषद, नगर निगम/म्यूनिसिपैलिटीज़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, एसआईआरओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ब्लड बैंक, आरओसी, केन्द्र और राज्य पीएसयूज
16	राजस्थान	चिकित्सा परिषद, दन्त परिषद, नगर निगम/म्यूनिसिपैलिटीज़, डीएच एवं एफडब्ल्यू, पीसीबी, आरओसी, सीजीएचएस, अन्य (जस्ट डायल लिमिटेड)
17	तमिलनाडु	आरओसी, चिकित्सा परिषद, दन्त परिषद, चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, नगर निगम/म्यूनिसिपैलिटीज़, प्रदूषण नियंत्रण समिति, सीजीएचएस
18	उत्तराखण्ड	चिकित्सा परिषद, ड्रग कंट्रोलर, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
19	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चिकित्सा परिषद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, नगर निगम, सीएनओ, सीएमएस, उ.प्र के निदेशक स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, कन्ट्रोलर ऑफ सेन्ट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कन्ट्रोल आरगनाइज़ेशन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय



20	त्रिपुरा	एमसीआई (भारतीय चिकित्सा परिषद), (जैसा <a href="http://www.mciindia.org/informationDesk/">www.mciindia.org/informationDesk/</a> Indian Medical Register.aspx, से प्राप्त किया गया, आरओसी, त्रिपुरा ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> , निजी ब्लड बैंक, <a href="http://www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf">www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf</a> से प्राप्त)
21	मणिपुर	(आरओसी), मणिपुर ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> , स्कूल ऑफ नर्सिंग, निजी ब्लड बैंक)
22	नागालैंड	आरओसी नागालैंड ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> , निजी ब्लड बैंक <a href="http://www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf">www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf</a> से प्राप्त)
23	मेघालय	आरओसी, मेघालय ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> स्कूल ऑफ नर्सिंग, निजी ब्लड बैंक, <a href="http://www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf">www.cdsc.nic.in/writereaddata/bloodbanksindiafeb2015.pdf</a> )
24	मिजोरम	आरओसी, मिजोरम ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> , स्कूल ऑफ नर्सिंग, निजी ब्लड बैंक से प्राप्त)
25	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद (जैसा उनके द्वारा सितम्बर 2016 को प्रस्तुत किया गया), पश्चिम बंगाल दन्त परिषद ( <a href="http://www.wbdc.org.in/search.php">http://www.wbdc.org.in/search.php</a> ) (जून 2011 तक, अगस्त 2016 में डाउनलोड) नगर निगम/म्यूनिसिपालिटीज (जून 2016 तक) (जैसा 25 नगर निगमों द्वारा प्रस्तुत किया गया), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ( <a href="http://www.wbhealth.gov.in/">http://www.wbhealth.gov.in/</a> ) (दिसम्बर 2010 तक), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एसआईआरओ) (चिकित्सा विज्ञान) (एसआईआरओ की निर्देशिका (दिसम्बर 2014 तक) ( <a href="http://www.dsir.gov.in/direct/14_sirodir.pdf">http://www.dsir.gov.in/direct/14_sirodir.pdf</a> ), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पश्चिम बंगाल (जैसा पीसीबी पश्चिम बंगाल और असम द्वारा नवम्बर 2016 में प्रस्तुत किया गया), ब्लड बैंक ( <a href="http://www.wbhealth.gov.in/wbsapcs/blood_bank.htm">www.wbhealth.gov.in/wbsapcs/blood_bank.htm</a> से डाउनलोड), रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीस (आरओसी), कोलकाता ( <a href="https://data.gov.in/catalog/company-master-data">https://data.gov.in/catalog/company-master-data</a> ), केन्द्र और राज्य पीएसयू, अडमान और निकोबार द्वीप समूह (स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, अं एवं नि प्रशासन से प्राप्त)

## अनुबंध 5बी

पंजीयक निकायों/बाह्य स्रोतों से संग्रहित निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के कारबार/व्यवसाय में लगे संभावित निर्धारिती

क्रम संख्या	राज्य का नाम	संभावित निर्धारितियों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	33,481
2	असम	23,457
3	अरुणाचल प्रदेश	771
4	बिहार	1,206
5	छत्तीसगढ़	4,951
6	दिल्ली	1,895
7	गुजरात	10,843
8	हरियाणा	944
9	झारखण्ड	687
10	कर्नाटक	6,025
11	केरल	5,762
12	मध्य प्रदेश	7,346
13	महाराष्ट्र	22,581
14	मणिपुर	23
15	मेघालय	13
16	मिजोरम	05
17	नागालैंड	02
18	ओडिशा	2,159
19	पंजाब	354
20	राजस्थान	6,846
21	तमिलनाडु	1,36,395
22	त्रिपुरा	17
23	उत्तराखण्ड	14,676
24	उत्तर प्रदेश	1,691
25	पश्चिम बंगाल	38,603
	<b>जोड़</b>	<b>3,20,733</b>

स्रोत: बाह्य/तृतीय पक्ष स्रोतों, जैसा अनुबंध 5ए में दर्शाया गया है।